उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-103/2015/693/71-1-2015-जी-202/2014
लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 अर्चिका, प्रवक्ता, सर्जरी, मेडिकल कालेज, आगरा का चयन किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सहायक आचार्य, पीडियाट्रिक्स के पद पर हो जाने के पश्चात् कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/506, दिनॉक 27-03-2015 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय डा0 अर्चिका, प्रवक्ता, सर्जरी, मेडिकल कालेज, आगरा को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सहायक आचार्य, पीडियाट्रिक्स के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप वर्तमान पद पर डा0 अर्चिका का लियन नहीं बनाये रखा जायेगा।

शैलेन्द्र नाथ शुक्ल
अनु सचिव

संख्या:- 103/2015/694(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा/लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
7- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।